कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला– होशंगाबाद (म.प्र.)
(फोन– 07574–253655, E-mail- dcourthos-mp@nic.in)

परिपत्र

क्रमांक **483** / दो–1–8 / 19 होशंगाबाद दिनांक 04.05.2020

प्रति,

(1) समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण, जिला होशंगाबाद
(2) समस्त अनुभाग, प्रभारी अधिकारीगण, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)
(3) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद (म.प्र.)
(4) प्रस्तुतकार, जिला न्यायाधीश होशंगाबाद (म.प्र.)

विषयः– कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के कारण देशव्यापी लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा दिये गये आगामी दिशा निर्देशों के संबंध में।

संदर्भः– माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर का परिपत्र क्रमांक क्यू–12 जबलपुर दिनांक 04.05.2020 एवं क्यू–5 जबलपुर दिनांक 25.03.2020

—00—

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक क्यू–5 जबलपुर दिनांक 25.03.2020 की कंडिका 4 के पश्चात् कंडिका 5 हेतु कंडिका 4.1 एवं 4.2 जोड़ते हुए दिनांक 04.05.2020 से न्यायालयों में अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों के साथ–साथ ऐसे भी प्रकरण संबंधित न्यायालय द्वारा सुनवाई में लिये जाने का निर्देश दिया गया है जो अंतिम निराकरण, अंतिम सुनवाई, आदेश, निर्णय, रिमाण्ड, जमानत आवेदन पत्र, क्रिमिनल रिव्होजन एवं सिविल अपील से संबंधित हैं तथा जिन प्रकरणों में पक्षकारगण की उपस्थिति आवश्यक नहीं है तथा उनकी सुनवाई केवल अधिवक्तागण के माध्यम से बिना कोई मौखिक साक्ष्य लिये की जा सकती है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देश भी दिया गया है कि न्यायालय परिसर में कोई भीड़–भाड़ न हो एवं एक तिहाई या एक चौथाई स्टाफ को कार्य हेतु उपस्थित रखा जावे तथा न्यायालय के कार्य की समयावधि 11 से 2 बजे के बीच सीमित रखी जावे। यह भी निर्देश दिया गया है कि प्रकरणों की सुनवाई केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जावे।

अतः मैं **चन्द्रेश कुमार खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश होशंगाबाद** माननीय उच्च न्यायालय के उक्त परिपत्र के आलोक में पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक 475 / दो–1–8 / 19 होशंगाबाद दिनांक 02.05.2020 को निरस्त करते हुए आगामी आदेश तक के लिए निम्न निर्देश जारी करता हूं जो **तत्काल प्रभाव से** प्रभावशील होंगे :–

1– यह कि न्यायालय का समय **प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे** तक रहेगा।

2– **यह कि समस्त न्यायालयों में अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों के साथ ही ऐसे मामले भी संबंधित न्यायालय द्वारा लिये जावेंगे जो निराकरण की अंतिम अवस्था में है, जो अंतिम सुनवाई के लिए नियत हैं, रिमाण्ड आवेदन,**

जमानत आवेदन, आपराधिक पुनरीक्षण, सिविल अपील आदि जिनका निराकरण दोनों पक्षों के अधिवक्तागण के तर्क सुनने के आधार पर बिना मौखिक साक्ष्य अभिलिखित किये किया जा सकता हो, पीठासीन अधिकारी अधिवक्तागण से लिखित तर्क पेश करने हेतु भी कह सकते हैं।

3— यह कि प्रत्येक पीठासीन अधिकारी अपने न्यायालय में एक समय में केवल 1/3 अथवा 1/4 स्टाफ की संख्या को सीमित रखते हुए ही अपना कार्य सम्पादित करेंगे एवं कार्यालय तथा अनुभागों में भी 1/3 या 1/4 कर्मचारी ही कार्य हेतु उपस्थित रहेंगे तथा शेष स्टाफ को आवश्यकतानुसार कार्य के लिए बुलाया जा सकेगा। कन्टेनमेंट जोन्स/हॉटस्पॉट क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारियों को छोड़कर ही कार्य हेतु कर्मचारियों को बुलाया जावे।

4— **यह कि समस्त न्यायालयों में सुनवाई केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही की जाएगी। न्यायालय कक्ष में अधिवक्तागण एवं पक्षकारों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। व्ही.सी. कक्ष में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक समय में केवल एक ही अधिवक्ता को तर्क प्रस्तुत करने हेतु अनुमति दी जाएगी।**

5— यह कि समस्त न्यायालयों के द्वारा प्रत्येक शनिवार को दोपहर 03 बजे तक सप्ताह में किये गये कार्य का प्रतिवेदन कार्यालय में प्रेषित किया जाएगा।

6— यह कि न्यायालय परिसर में सभी न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण के लिए मास्क पहनना तथा स्वयं को सैनेटाईज करना अनिवार्य होगा।

7— यह कि अधिवक्तागण/पक्षकार का न्यायालय परिसर में प्रवेश निषेधित रहेगा केवल वे अधिवक्तागण/पक्षकार जिनके प्रकरण सुनवाई हेतु नियत हों उन्हें ही न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी तथा ऐसे अधिवक्तागण/पक्षकार के लिए न्यायालय परिसर में प्रवेश के समय मास्क पहनना एवं स्वयं को सैनेटाईज करना अनिवार्य होगा।

8— यह कि समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण, अधिवक्तागण/पक्षकार को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

9— यह कि माननीय उच्च न्यायालय, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण को फैलने से रोकने के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों एवं व्ही.सी. गाईडलाईन दिनांक 20.04.2020 की कंडिका 22 का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा।

10. यह कि पूर्व में जारी परिपत्र कमांक 477/दो–1–8/19 होशंगाबाद दिनांक 02.05.2020 ऐसे प्रकरण जो निराकरण की अंतिम अवस्था में है, जो अंतिम सुनवाई के लिए नियत हैं, आपराधिक पुनरीक्षण, सिविल अपील आदि जिनका निराकरण दोनों पक्षों के अधिवक्तागण के तर्क सुनने के आधार पर बिना मौखिक साक्ष्य अभिलिखित किये किया जा सकता हो के संबंध में प्रभावशील नहीं रहेगा।

यह कि जारी किये गये दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन शब्द एवं भाव (In Letter & Spirit) के अनुसार किया जावे।

संलग्न– माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर
का परिपत्र क्रमांक क्यू–5 जबलपुर
दिनांक 25.03.2020 एवं क्यू–12 जबलपुर
दिनांक 04.05.2020

04.05.20.

(चन्द्रेश कुमार खरे)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक **484**/दो–1–8/19 होशंगाबाद दिनांक 04.05.2020

प्रतिलिपि,

(1) रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।

(2) अध्यक्ष/सचिव, अभिभाषक संघ, होशंगाबाद/इटारसी/पिपरिया/सोहागपुर/सिवनीमालवा, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

(3) जिला दण्डाधिकारी होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

(4) पुलिस अधीक्षक होशंगाबाद की ओर समस्त थाना प्रभारियों को सूचित किये जाने एवं न्यायालय में (कन्टेनमेंट जोन/हॉटस्पॉट क्षेत्र के कर्मचारियों को छोड़कर) जिन कर्मचारियों की अत्यावश्यक डियूटी लगायी गयी है, उन्हें न्यायालय आने जाने की अनुमति दिये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

(5) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होशंगाबाद (म.प्र.)

(6) लोक अभियोजक होशंगाबाद (म.प्र.)

(7) जिला अभियोजन अधिकारी होशंगाबाद, (म.प्र.)

(8) जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

(9) जिला जनसंपर्क अधिकारी होशंगाबाद की ओर जिला व सभाग के दैनिक समाचार पत्र क्रमशः दैनिक भास्कर, जागरण एवं पत्रिका में प्रकाशनार्थ कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

(10) प्रशासनिक अधिकारी/जिला नाजिर होशंगाबाद की ओर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की 1/3 या 1/4 डियूटी लगवाये जाने हेतु प्रेषित्।

(10) सिस्टम ऑफीसर होशंगाबाद की ओर भेजकर निर्देश है कि समस्त संबंधितों को ई–मेल/व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करें एवं परिपत्र की प्रति होशंगाबाद जिले की वेबसाईट पर अपलोड करें।

04.05.20

(चन्द्रेश कुमार खरे)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

// CIRCULAR //

No. Q-12 Jabalpur, Dated 04th May, 2020

Sub.: COVID-19 - Nation wide lock down - further directions of Hon'ble the Chief Justice.

Ref.: Order No.Q5 dated 25-03-2020 issued by the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.

In the reference circular, after clause– 4 and before clause– 5 following shall be added that will be applicable to all the Subordinate Courts (except District Indore, Bhopal & Ujjain) from 04/05/2020 until further orders:

4.1 Including urgent cases, those cases shall also be taken for hearing which are at the stage of disposal, order, final hearing, remands & bails, criminal revisions, civil appeals etc. which can be decided only by hearing of Advocates of both the parties without taking any oral evidence by the Presiding Officer of the concerned Court. Presiding Officers are also directed to request to the Learned Advocates to file the written arguments.

4.2 The requirements of court staff shall be arranged in such a manner that no rush should be in the court premises but at the same time no work should suffer due to shortage of staff, for this purpose employees may be called in shift and if possible only 1/3 or 1/4 staff may be called on each working day, except officers/employees residing in Containment Zones/Hotspots, with further instructions that the remaining staff will remain available at his residence during the office hours and if required be called at any time, no one shall leave his residence for non-official purpose without permission of the concerned Presiding Officer.

The District Judges shall ensure that at every place where Advocates and public is entering in Court premises the protocol of wearing mask, sanitization and social distancing shall be strictly followed and for this purpose circles with minimum one meter distance be made. The Guidelines issued by High Court for conducting hearing through Video Conferencing and other Guidelines issued by High Court, Central & State Government to combat with outspreading of Coronavirus (Covid-19) shall be followed in letter & spirit. The Clause– 22 of VC Guidelines dated 20/04/2020 will be read in consonance with these amendments.

The progress report by all District & Sessions Judges shall be sent to the Registry every week i.e. up to every Sunday morning for weekly review.

BY ORDERS OF HON'BLE
THE CHIEF JUSTICE

4/5/2020

(RAJENDRA KUMAR VANI)
REGISTRAR GENERAL

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

// CIRCULAR //

No. Q-5 Jabalpur, dated 25th March, 2020

Sub.: COVID-19 - Nation wide lock down - further directions of Hon'ble the Chief Justice.

Ref.: Order No.Q-1 & Q-2 dated 22.03.2020 and Order No.Q-3 & Q-4 dated 23.03.2020 issued by the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.

The public announcement was made by the Hon'ble Prime Minister of the country on 24/03/2020 imposing a complete lock-down throughout the country. The Order No.40-3/2020-D dated 24th March 2020 along with the annexures has been issued by the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi. Subject to the condition contained therein and due to the threat of pandemic Corona Virus and immobilization of the public at large, it has been decided to declare the non-working of the High Court of Madhya Pradesh as well entire Subordinate judiciary of the State of Madhya Pradesh.

In the wake of this unprecedented and uncertain situation, it is directed by Hon'ble the Chief Justice, in addition to the above referred orders, to declare that there shall be no Court work with immediate effect for three weeks till 14/04/2020 (including Holidays from 10/04/2020 to 14/04/2020) in case of High Court of Madhya Pradesh at Principal Seat Jabalpur and its Benches at Indore & Gwalior and till 14/04/2020 (including Holiday on 14/04/2020) in case of all Subordinate Courts and Family Courts across the State of Madhya Pradesh subject to the following:-

Scanned with CamScanner

01- Entry in person to the High Court at Main Seat Jabalpur and Benches at Indore & Gwalior shall remain prohibited till 14/04/2020. Administrative/Judicial work shall be communicated through Registrar General/Principal Registrar (Judicial) at Main Seat Jabalpur and Principal Registrars at Benches at Indore & Gwalior on their official e-mail I.D.

02- Entry into all Subordinate Courts shall remain prohibited till 14/04/2020 subject to specific permission of the District Judge/ Principal Judge, Family Court or In-charge Officer thereof, as the case may be. The respective Heads shall notify official e-mail I.D. details of Court Manager or Administrative Officer, as the case may be, for any contact by any person including lawyers for either Administrative or Judicial work.

03- All Registry Officers and staff of the High Court Main Seat at Jabalpur and Benches at Indore & Gwalior as well as all Judicial Officers & staff members of the Subordinate Courts including Family Courts shall remain stationed at their respective place of posting subject to the directions issued by the respective Heads, as the case may be, to carry out urgent or emergent duties.

04- No matter, unless it is urgent or eminently emergent, shall be entertained except with the permission of Hon'ble the Chief Justice in case of the High Court and District Judge or Principal Judge, Family Court or In-charge Officer thereof in case of Subordinate Court or Family Court.

05- On permission being granted, the lawyers / litigants or the concerned person shall be accordingly instructed of the venue and mode of addressing the Court either through Video Conferencing or otherwise.

Scanned with CamScanner

06- All Registry Officers and staff members of the High Court Main Seat at Jabalpur and Benches at Indore & Gwalior and all Judicial Officers & staff members of the Subordinate Courts including Family Courts shall keep their mobile phones and contact numbers in an active mode for receiving and executing any communications issued by their respective superiors for the discharge of their duties.

07- In view of the unpredictable situations, the High Court and Subordinate Courts including Family Courts shall function as per the aforesaid directives until further orders subject to any further decision being taken on administrative side by Hon'ble the Chief Justice.

08- The directions and the guidelines issued by the Central Government and the State Government from time to time shall be followed in letter & spirit by all concerned. A copy of the guidelines issued by the Department of Justice, Government of India on 20/03/2020 and Ministry of Home Affairs, Government of India on 24/03/2020 along with all annexures are being appended herewith for ready reference.

09- Any kind of disobedience and deviation of the aforesaid directions shall be viewed seriously.

BY ORDERS OF HON'BLE
THE CHIEF JUSTICE

25/3/2020

(RAJENDRA KUMAR VANI)
REGISTRAR GENERAL

Scanned with CamScanner